न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 90 / 2026

भपटियाही थाना काण्ड संख्या– 131 / 2021

	रंजन कुमार.....आवेदक **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
08/04/26	प्रार्थी अभियुक्त रंजन कुमार की ओर से भपटियाही थाना काण्ड सं0 131 / 2021 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मेहता द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय से तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना से अस्वीकृत किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की संज्ञानोंपरांत प्रथम उपस्थिति है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय से तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से खारिज है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद सूचक गणपति पौद्दार के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण सहित कुल 5 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341,323,498ए,365 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि सूचक की पुत्री को तीन वर्ष पूर्व उसके पड़ोसी वैधनाथ पौद्दार के लड़का रंजन कुमार बहला फुसला कर भगाकर ले गया और उससे शादी कर लिया। शादी के दो–तीन माह बाद सूचक की पुत्री को ससुराल लाया गया, जहां उसके पति तथा ससुराल वाले उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे की अपने मायके से पॉच लाख रूपया तथा एक मोटर साईकिल दिलवाओ नहीं तो जान से मार देंगे तथा लाश गायब कर दूसरी शादी कर लेंगे। सूचक की पुत्री जब इस बात की जानकारी अपने मॉ को दी तो वे लोग लाचार होकर एक अपाची मोटरसाईकिल एवं पूर्वजों के धरोहर के रूप में रखा चार भरी सोना उनको दिया फिर भी उसके ससुराल वाले सूचक की पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 10 / 03 / 2019 को सामाजिक पंचायती हुई कि वह सूचक की पुत्री को अच्छे से रखेंगे। उसके पश्चात् भी ससुराल वाले उसकी बेटी के साथ गलत कार्य करने वो शराब के कारोबार करने में सहयोग करने का दबाव देते रहे। दिनांक 28 / 10 / 2021 को शाम 04.00 बजे से सूचक की पुत्री गायब है। इसकी जानकारी सूचक की पत्नी को आस पास के लोगो से मिली तो सूचक की पत्नी वैद्यनाथ पौद्दार के यहॉ अपनी पुत्री का खोज खबर लेने गई तो उसके साथ भी बेटी के ससुराल वाले गाली गलौज देते हुए बेनग्न का मारपीट किये तथा दीपक पौद्दार सूचक की पत्नी के सिर पर दबिया से प्रहार कर दिया जिससे उसकी पत्नी जख्मी हो गयी। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सूचक द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के	**लगातार..**

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 90 / 2026

भपटियाही थाना काण्ड संख्या– 131 / 2021

08/04/26 **लगातार**	साथ मिलकर सूचक की पुत्री को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने व उससे शादी करने तथा शादी के बाद उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने व पांच लाख रूपया एवं मोटरसाइकिल अपने माता पिता से मांग कर लाने और नहीं देने पर सूचिका की पुत्री को गायब कर देने एवं सूचक एवं उसकी पत्नी के द्वारा अपनी पुत्री का खोजबीन करने पुत्री के ससुराल जाने पर उसके साथ मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी अभियुक्त सूचक का दामाद है। सूचक ने अपने पुनः बयान (पैरा–2) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा–5 एवं 6) में घटना का समर्थन करते हुए प्रार्थी अभियुक्त की उसमें संलिप्तता का स्पष्ट वर्णन किया है। पूरक काण्ड दैनिकी की कंडिका 47 एवं 53 में अपहृता का धारा 161 एवं 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत दर्ज बयान वर्णित है जिसमें अपहृता ने अभियुक्त से 06 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह करने एवं शादी के कुछ दिनों बाद प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य सह–अभियुक्तों के द्वारा प्रताड़ित करने व उसे मथुरा में किसी अन्य आदमी के हाथ बेच देने का कथन की है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 24 / 2025 दिनांक 05 / 02 / 2025 को इस न्यायालय से अस्वीकृत है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से क्रिम0 मिस0 नं0 14249 / 25 द्वारा दिनांक 28 / 02 / 25 को में अस्वीकृत किया गया है। यद्यपि कि काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास वर्णित नहीं है परंतु अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए प्रार्थी अभियुक्त को फिरार दिखोते हुए धारा 341,323,498ए,365,504,506 / 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है (पूरक काण्ड दैनिकी की कंडिका 87) तथा प्रार्थी अभियुक्त की संज्ञानोंपरांत प्रथम उपस्थित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त रंजन कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित ह0 / – (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	